न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 51 / 2022

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी:–
1. पुष्पतराज पुत्र भीकमचंद जाति ओसवाल, निवासी मुणोतों का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. **श्री गजेन्द्र दवे एवं भगवती प्रसाद अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक – 28.04.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास, पटवार हल्का रेपड़ावास, तहसील सोजत जिला पाली प्रार्थी के ग्राम रेपड़ावास में खसरा नम्बर 659 रकबा 1.0400 हैक्टर किस्म चा.सो., बजड़ में प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त स्थित है। प्रार्थी ओसवाल जाति से सम्बन्ध रखता है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की जाति पूर्व में ओसवाल दर्ज थी जो राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में बखूबी स्पष्ट है जिसमें प्रार्थी की जाति ओसवाल दर्ज है लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2051 से 2054 को दर्ज करते समय स्लीफ ऑफ पेन की वजह से जाति ओसवाल के स्थान पर आलवाल दर्ज कर दी जो एक सद्भाविक त्रुटि है जबकि वास्तविकता में प्रार्थी की जाति ओसवाल है इसलिये आलवाल के स्थान पर ओसवाल जाति दर्ज की जानी चाहिये थे लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसा न कर ओसवाल के स्थान पर आलवाल दर्ज कर दी तत्पश्चात् वर्तमान राजस्व रेकर्ड में पुनः फेरबदल करते हुये आलवाल के स्थान पर अग्रवाल महाजन दर्ज की गई जो भी एक सद्भाविक त्रुटि है इसलिये प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में आलवाल व अग्रवाल महाजन के स्थान पर ओसवाल शुद्धि करवाये जाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी ने फसल अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की जाति ओसवाल के स्थान पर अग्रवाल महाजन दर्ज है। तत्पश्चात् प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि के पुराने राजस्व रेकर्ड की नकले सम्वत् 2046 से 2049 की नकले प्राप्त की, जिसमें प्रार्थी की जाति ओसवाल सही दर्ज है। सम्वत् 2051

से 2054 की जमाबंदी नकल प्राप्त की जिसमें प्रार्थी की जाति आलवाल गलत अंकित किया गया है तथा वर्तमान जमाबंदी में अग्रवाल महाजन गलत अंकित किया है। जिसे शुद्धि किया जाना कानूनन एवं न्यायसंगत है। राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि के शुद्धिकरण हेतु तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भी शुद्धि नहीं किये जाने से तथा तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व रेकर्ड में शुद्ध करने से इंकार करने पर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश हुआ। इस पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित खसरात की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की जाति अग्रवाल महाजन व आलवाल के स्थान पर ओसवाल शुद्धि किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा रेपड़ावास में होना स्वीकार किया, पैरा संख्या 2 व 3 के सन्दर्भ में निवेदन किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास के सम्वत् 2046–2049 में ख0नं0 659 में सहखातेदार एवं प्रार्थी का नाम पुष्पतराज पुत्र भीकमचंद ओसवाल दर्ज था जो सेवन से सम्वत् 2049–2054 में पुष्पतराज पुत्र भीकमचंद आलावल दर्ज हो गया व वर्तमान में पुष्पतराज पुत्र भीकमचंद अग्रवाल दर्ज है, संलग्न जमाबंदी सरहद मौजा रेपड़ावास के सम्वत् 2046–2049 के आधार पर पुष्पतराज पुत्र भीकमचंद जाति ओसवाल दर्ज करने की अनुशंषा की तथा पैरा संख्या 4 व 5 को कानूनी होना बताया, पेश की है, सा0मि0 किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम रेपड़ावास में खसरा नम्बर 659 रकबा 1.0400 हैक्टर किस्म चा.सो., बजड के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की जाति अग्रवाल महाजन व आलवाल के स्थान पर ओसवाल शुद्ध दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात व जबाब प्रा0 पत्र अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2046–2049 में प्रार्थी मय सहखातेदार की जाति ओसवाल दर्ज सुदा है। जो कि पश्चातवर्ती जमाबंदी सम्वत 2049 से 2054 में ओसवाल के स्थान पर आलवाल व आगामी जमाबंदी में अग्रवाल महाजन लिपिकीय त्रुटि/सहवन से दर्ज होना स्पष्ट होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना व राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की जाति गलत रूप से दर्ज अग्रवाल महाजन व आलवाल के स्थान पर ओसवाल दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रेपड़ावास में खसरा नम्बर 659 रकबा 1.0400 हैक्टर किस्म चा.सो. बजड़ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी जाति अग्रवाल महाजन व आलवाल के स्थान पर ओसवाल शुद्ध दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत